एक रिपोर्ट : मजदूरों के बच्चों की सरकारी स्कूल में एडमिशन के बारे में

(A Report about admission of children of labourers in Govt. School)

Date: 27.12.2023

Report in English after Hindi

द्वारा भगवन्त सिंह रावत, ट्रस्टी, SBNJEAC Trust,

By Bhagwant S Rawat, Trustee, SBNJEAC Trust

(Webite: www. sbnjeact.org)

उत्तराखंड राज्य में 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए राज्य के सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। इन स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाता है और सप्ताह में एक बार दूध और फल भी मुफ्त दिए जाते हैं। बैंक में बच्चे का बचत खाता खोला जाता है, जहां सरकार द्वारा बच्चे के खाते में जूते, किताबें, वर्दी आदि के लिए पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।

बहुमंजिला इमारतों के निर्माण कार्य में लगे राज्य के बाहर या भीतर के गरीब मजदूर अज्ञानतावशऔर स्कूल अधिकारियों से संपर्क करने में झिझक के कारण इस सुविधा का लाभ अक्सर नहीं उठा पाते हैं। प्राथमिक स्कूल में भी न जाने के कारण उनके बच्चे बुनियादी शिक्षा से भी वंचित हो रहे है। इस प्रकार यह बच्चे अनपढ़ की श्रेणी में आ जाते हैं।

श्री भैरवनाथजी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट ने, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसमें 80G के तहत आयकर छूट है, देहरादून में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय और इन मजदूरों के एक समूह के साथ इस मामले पर चर्चा की।

स्कूल में प्रवेश पाने के लिए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की प्रतियां, माता-पिता का आधार कार्ड और बच्चे और माता-पिता की पासपोर्ट आकार की फोटो की आवश्यकता होती है। साथ ही बच्चे का खाता खोलने के लिए बैंक को आधार कार्ड की भी आवश्यकता होती है। प्रवेश आम तौर पर मार्च से नया सत्र शुरू होने पर और सितंबर महीने तक किया जा सकता है।

इन मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्या अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है. जन्म प्रमाण पत्र देहरादून में नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है और यदि कोई एक वर्ष के अंतराल के बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहा है, तो नगर निगम की

दो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं (i) बच्चे के टीकाकरण कार्ड की प्रतिलिपि (ii) आवासीय सबूत की प्रतिलिपि ।

टीकाकरण कार्ड राज्य के आशा (* ASHA - **A**ccredited **S**ocial **H**ealth **A**ctivist) कार्यकर्ताओं के समन्वय से सरकारी नियंत्रित चिकित्सा केंद्रों द्वारा प्रदान किया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं का एक कार्य अपने क्षेत्रों की गरीब गर्भवती महिलाओं पर नज़र रखना और उन्हें इस चरण के दौरान बुनियादी चिकित्सा सहायता/दवाएँ प्रदान करना और नवजात शिशु के लिए टीकाकरण की जानकारी प्रदान करना है। लेकिन, मजदूर वर्ग के लोगों में जागरूकता की कमी और उनके रोज के ठेकेदार के काम में फंसी दिनचर्या के कारण, ये मजदूर आशा कार्यकर्ताओं के संपर्क में नहीं आ पाते हैं और अपने बच्चों के लिए टीकाकरण कार्ड प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साथ ही उनके बच्चे अस्पताल में कम ही पैदा होते हैं, जँहा से प्राप्त जन्म मृत्यु की सूचना को नगर निगम वैध मानता है। ऐसे मजदूर भी हो सकते हैं जो दूसरे राज्यों में अपने बच्चों के जन्म के बाद बिना उनका टीकाकरण कराए उत्तराखंड आ गए हैं।

इन मजदूरों के सामने दूसरी समस्या यह है कि नगर निगम कार्यालय को आवासीय प्रमाण पत्र, जैसे कि मालिक का आधार कार्ड के साथ बिजली बिल, की आवश्यकता होती है। चूंकि मजदूर अस्थायी आवास में रहते हैं, इसलिए वे कोई बिजली/पानी का बिल देने की स्थिति में नहीं होते हैं और इन आवासों के मालिक इस संबंध में मददगार नहीं होते हैं। ऐसे में ये मजदूर निवास प्रमाण पत्र हासिल करने की स्थिति में नहीं हैं।

ये दोनों मुख्य समस्याएं हैं और नगर निगम और सम्बंधित सरकारी विभागों को इनसे निपटने की जरूरत है। हमारे देश के किसी भी राज्य के बच्चे बुनियादी शिक्षा के अधिकार के हकदार हैं। इसके अलावा, एक चिकित्सा केंद्र कार्यकर्ता ने अपने केंद्र में टीकाकरण कार्ड की उपलब्धता में कमी की भी सूचना दी।

साथ रह रहे मजदूरों के पूरे समूह में से केवल तीन मजदूरों के बच्चों (तीनों लड़कियों) के पास ही आधार कार्ड था, (जिसमें भी जन्म तिथि अंकित होती है), ट्रस्ट इन तीन लड़कियों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने में कामयाब हो सका।

ट्रस्ट ने स्कूल और मजदूरों के बीच सिर्फ एक सेतु के रूप में काम किया, क्योंकि मजदूर स्वयं सीधे स्कूल जाने से झिझकते थे। इस दाखिला पद्धति को समाज के अन्य संपन्न लोगों द्वारा इन लोगों के कल्याण के लिए अपनाया जा सकता है। प्रवेशित तीन बच्चों का विवरण तस्वीरों सहित अनुबंध 1 में दिया गया है।

इस कार्य के लिए ट्रस्ट फंड से कोई वित्त उपयोग नहीं किया गया। तीन लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए, ट्रस्टी भगवन्त सिंह रावत ने प्रवेश संबंधी और बैंक का बचत खाता संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बच्चों के लिए कुछ स्कूल स्टेशनरीऔर मिठाइयां खरीदने में अपने कुछ निजी पैसे खर्च किए।

SBNEAC ट्रस्ट, देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माजरा, की प्रधानाचार्या और शिक्षिकाओं को उनके स्कूल में बच्चों के प्रवेश में मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता है।

जाँच - परिणाम:

1. मजदूरों के कई बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, उनके माता-पिता उन्हें स्कूल भेजने में रुचि रखते हैं और स्कूल के शिक्षक भी इन बच्चों को अपने स्कूल में लेने के इच्छुक हैं, लेकिन मुख्य रूप से नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई के कारण ये बच्चे, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. बैंक खाता खोलने और मुफ्त स्कूल सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, इन बच्चों के पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, जिसको बनाने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

2. मजदूरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाने और इस प्रकार देश में निरक्षरता को कम करने की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है यदि समाज के संपन्न लोग अपने क्षेत्रों में काम करने वाले इन लोगों की मदद और मार्गदर्शन के लिए आगे आएं। इसमें केवल नैतिक समर्थन की आवश्यकता है, किसी वित्तीय सहायता की नहीं।

A Report about school admission of children of labourers engaged in construction work for multi-storeyed building

In Uttarakhand state, free education is provided in state government school for children up to 5th class. In these schools free meals are provided to the children and milk and fruits are also given once in a week. A saving account of the child is opened in a Bank, where the money is transferred in child's account by the govt for shoes, books, uniform etc.

Poor labourers from outside or within the state engaged in construction work of mulit-storeyed buildings rarely avail this facility due to lack of knowledge and hesitation in approaching the school authorities. As these children are unable to attend even a primary school, they get deprived of even the basic education. Thus these children get in the category of illiterates.

Shri **B**hairav**N**ath**J**i **E**ducational **A**nd **C**ultural **T**rust (SBNEACT), a chairtable Trust with income-tax exemption under 80G, discussed the matter with a primary government school and a group of these labourers in Dehradun.

School requires copies of birth certificate of the child, aadhar card of a parent and passport size photos of child and parent for the admission. Also Adhar card is needed by the bank for opening the child's account. The admission can be generally done from March when a new session starts and up to the month of September.

For these labourers, the biggest problem is in getting a birth certificate for their children. Birth certificate is issued by Municipal Corporation, in Dehradun and if one is applying for the birth certificate after a gap of one year, the two main requirements of Municipal Corporation are (i) copy of Vaccination card of the child (ii) copy of residential proof.

Vaccination card is provided by many government controlled medical centres in co-ordination with the ASHA* (Accredited Social Health Activist) workers of the state. One area of work of these workers is to keep a lookout for poor pregnant women of their areas and provide them basic medical aid/ medicines during this phase and provide vaccination information for the new born child. However, because of lack of awareness within the labourer class of people and also because of their tight daily routine of working schedule under a

contractor, these labourers are not able to come in contact with Asha workers and get the vaccination card for their children. Also their children are seldom born in a hospital, a place from where birth information paper can be considered as a valid document by the Municipal Corporation. There can also be labourers who have migrated to Uttarkahand after birth of their children in other states and without getting vaccination card from there.

Second problem these labourers face is that a residential proof, such as electricity bill of the owner along with owner's Aadhar card copy is required by the Municipal Corporation office. However, as the labourers live in a makeshift accommodation they are not in a position to provide any electricity/water bill and the owners of these accommodations are not helpful in this regard. Hence, these labourers are not in a position to get a residence proof.

These two are main problems and need to be tackled by the Municipal Corporation and concerned government departments. Children belonging to any state of our country deserve the right to basic education. Besides this, a medical centre worker also reported scarcity in availability of Vaccination cards in their centre.

As only three labourers' children (all girls) had aadhar card, (wherein date of birth is indicated) of the entire group of the labourers living together, the Trust could manage to get these three girls admitted in a government school. The Trust worked solely as a bridge between school and labourers, for labourers on their own were hesitant to approach the school directly. This admission approach can be applied by other well-to-do people of the society for welfare of these people. The details of the three children admitted are given in Annexure 1 along with photographs.

No Finance from Trust fund was utilized for this activity. Just as an encouragement gesture to the three girls, some personal money was spent by Trustee Bhagwant S Rawat in buying basic stationary and sweet for the children after their admission and bank account formality was completed.

The Trust would like to thank Principal and teachers of the Rajkiya Primary school, Majra, Dehradun for their support in admission of the children in their school.

Findings:

1. Many children of labourers are interested to join the government school, their parents are interested in sending them to school and school teachers are also willing to take these children in their school, but primarily because of difficulty in getting birth certificate from Municipal Corporation for these children, these children are unable to join the school. To open bank account and avail the free school facilities, these children should also Adhar card whose generation again require birth certificate..

2. The problem of getting admission of labourer children in government schools and thus reducing illiteracy in the country can be effectively tackled if people of the society come forward for help and guidance of these people working in their areas. It calls for only moral support and not any financial support.

* ASHA (Accredited Social Health Activist) : An **Accredited Social Health Activist** (**ASHA**) is a community health worker employed by the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) as a part of India's National Rural Health Mission .

For more details check in internet

अनुबंध 1/ Annexure 1

क्रमांक.	बच्चे का नाम, जन्म की तारीख & कक्षा **Child's name, Date of Birth & Class**	पिता का नाम, पेशा **Father's name & Profession**	आधार कार्ड के अनुसार पता **Address as per Aadhar Card**
1.	प्रियांशु कुमारी (Priyanshu Kumari) 09.06.2016 कक्षा 1 / Class 1	अजय कुमार उराँव, मिस्त्री Ajay Kumar, Uraon, Mason	ग्राम- चरकी, पोस्ट- अधौरा, कैमूर, भभुआ, बिहार- 821102 Gram Charki, Post- Adhaura, kaimur, Bhabua, Bihar-821102
2.	संगीता / Sangita 07.08.2018 कक्षा 1 / Class 1	बाबूलाल उराँव / मजदूर Babulal Uraon/ Labourer	s/o छालित्तार उराँव, माधोवला, मार्खम ग्रांट, डोईवाला, देहरादून -241840
3.	जसनीता / Jasnita 15.08.2016 कक्षा 1 / Class 1	बाबूलाल उराँव / मजदूर Babulal Uraon/ Labourer	s/o छालित्तार उराँव, माधोवला , मार्खम ग्रांट , डोईवाला, देहरादून - 241840

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माजरा, देहरादून में दाखिला कराया गया

Admission done in Government Primary school, Majra, Derhadun

प्रियांशी अपने पिता, स्कूल प्रिंसिपल और trainee शिक्षिका के साथ / Priyanshi with her father, school Principal & a trainee teacher

संगीता और जसनिता अपने पिता, स्कूल प्रिंसिपल और trainee शिक्षिका के साथ। प्रियांशु के कुछ महीने बाद इन दोनों का स्कूल में दाखिला हुआ/ Sangeet a and Jasneeta with her father, school Principal & a trainee teacher. They got admission in school few months after Priyanshu

संगीता, जसनीता और प्रियांशु स्कूल यूनिफॉर्म में - अपने निवास स्थान से स्कूल जाने के लिए तैयार हैं / Sangeeta, Jasneeta and Priyanshu in school uniform , ready to go to their school from their

संगीत और जसनीता अपने निवास स्थान के सामने / Sangeet and Jasneeta in front of their house

स्कूल में तीनों लड़कियाँ / Three girls in their school

बच्चे भोजन कर रहे हैं / Children having meal

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माजरा, देरहादून / Government Primary school, Majra, Derhadun